न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख में तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय ... पत्रावली दिनांक 26.12.23 ... पेश हो।	
26.12.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण श्री रामावतार सैनी प्रथम की ओर से उनके ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता श्री रमेश कुमार एड0 उपस्थित आयें। ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता ने दिनांक 18.12.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित रास्ते की मौका रिपोर्ट व रास्ते में जाने वाली भूमि की भौतिक स्थिति, भूमि का रकबा व मूल्यांकन राशि की रिपोर्ट मॅगवाये जाने का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर पिछली तारीख पेशी पर वकील अप्रार्थीगण को सुना जाकर प्रकरण में पटवारी हल्का दिवराला को आज की पेशी पर ग्राम दिवराला के लट्ठे मानचित्र/नक्शें के साथ न्यायालय में उपस्थित होने बाबत लिखा गया था। जिसकी पालना नें पटवारी हल्का दिवराला ने ग्राम दिवराला के समस्त पुराने रिकार्ड व लट्ठे मानचित्र/नक्शे सहित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। जिनका वरवक्त न्यायालय ने उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में पुराने रिकार्ड व लट्ठे मानचित्र/नक्शे का गहनता से अवलोकन किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता व रास्ते में जाने वाली भूमियों की भौतिक स्थिति की जानकारी पटवारी हल्का दिवराला से विस्तार से ली गई। जहॉ तक अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का रकबा व मूल्याकंन राशि की रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत कथन किया है। उसके सम्बन्ध में रास्ते के काम आने वाली भूमि का रकबा की मौका रिपोर्ट पूर्व में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त की जा चुकी है। जो न्यायालय की पत्रावली पर पूर्व	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

[redacted] श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	से उपलब्ध है। मूल्यांकन राशि की रिपोर्ट के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पजीयन एव मुद्रांक विभाग के द्वारा वर्तमान में प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों की प्रतिवर्ष वर्तमान बाजार दरों से समीक्षा करते हुए डी0 एल0 सी0 दरों को संशोधित कर दिया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा भू. अभिलेख निरीक्षक दिवराला से तैयार करवाई गई फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.01.2023 में प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों की वर्ष 2022 – 2023 की दरों की सूचि भिजवाई गई है। जबकि वर्तमान में वित्तिय वर्ष 2023 – 2024 में निर्धारित दरें प्रभाव में है। प्रकरण में निर्णय दिनांक को प्रचलित दरों के अनुसार रास्ते के काम में आने वाली प्रस्तावित भूमियों की दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को दिलाई जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राशि का आंकलन कर प्रार्थीगण से जमा ली जा सकती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने पर प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।
	प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने एंव भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने व अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही विड्रा कर लिये जाने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 पर बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकील प्रार्थीगण के निवेदन व वकील अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील अप्रा... प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता खसरा नम्बर ... 3022 ... लिए अन्य खसरा नम्बरान् के साथ खसरा नम्बर 2813 में से रास्ता काटने हेतु अप्रार्थी श्री सायर मल गुर्जर ने एंव इसी प्रकार श्री ख्यालीराम ने इस रास्ते को खसरा नम्बर 3022 तक काटने हेतु पक्षकारान् ने अपने अधिवक्तागणों की उपस्थिति में अपनी – अपनी सहमति व्यक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

251 ए प्रा०पत्र ... - 49/2021

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने – अपने हस्ताक्षर अंकित किये है। अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 14, 18, 21 के अधिवक्ता के ब्रीफ होल्डर श्री रमेश कुमार एड0 ने भी पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर. हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 49/2021

जी0सी0एम0एस नम्बर :– 2021/361

दायर दिनांक :– 03.11.2021

निर्णय दिनांक :– 26.12.2023

उनवान प्रकरण

1. केला पुत्री स्व0 भगताराम आयु 19 वर्ष
2. सुरज्ञान पुत्री स्व0 भगताराम उम्र 32 वर्ष
3. लटटू पुत्री स्व0 भगताराम आयु 22 वर्ष
4. सुशी देवी पुत्री स्व0 भगताराम आयु 58 वर्ष
5. गंगाराम पुत्र स्व0 भगताराम आयु 21 वर्ष
6. मुकेश पुत्री स्व0 भगताराम आयु 35 वर्ष
7. विक्रम स्व0 भगताराम आयु 27 वर्ष
8. भूणाराम पुत्र रामू पुत्र हीरा आयु 60 वर्ष
9. गिरधारी पुत्र रामू पुत्र हीरा आयु 50 वर्ष
10. ख्यालीराम पुत्र रामू पुत्र हीरा आयु 45
11. अर्जुन पुत्र रामू पुत्र हीरा आयु 40 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

राज0

—प्रार्थीगण

बनाम्

1. कानाराम पुत्र चन्द्राराम आयु 85 वर्ष
2. गोपाललाल पुत्र गणपतराम आयु 60 वर्ष
3. दाना पत्रु बालू आयु 65 वर्ष
4. बंशीधर पुत्र चन्द्रा आयु 70 वर्ष
5. रामकुंवार पुत्र चौथूराम आयु 35 वर्ष
6. रामनारायण पुत्र चन्द्रा आयु 85 वर्ष
7. रामवतार पुत्र चोथुराम

समस्त जाति अहिर निवासीगण ढाणी डेरावाली तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर

जिला सीकर राज0

8. आंची देवी पुत्री मालीराम आयु 25 वर्ष
9. पूरण पुत्र मालीराम आयु 22 वर्ष
10. मूली देवी पुत्री मालीराम आयु 28 वर्ष
11. रूपा देवी पत्नी मालीराम आयु 60 वर्ष
12. रामेश्वर पुत्र मालीराम आयु 28 वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

13. सती देवी पुत्री मालीराम आयु 30 वर्ष

14. हंसराज पुत्र मालीराम आयु 32 वर्ष

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढाणी विशाल सिंह वाली तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

15. कल्याण पुत्र किशनराम आयु 40 वर्ष

16. छीतर पुत्र किशनराम आयु 45 वर्ष

17. नरसी पुत्र किशनराम आयु 55 वर्ष

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढाणी जोहडी वाली तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

18. कल्ली पुत्री मालीराम आयु 19 वर्ष

19. मन्नी पत्नी किशनराम आयु 80 वर्ष

20. सरदारा राम काना आयु 62 वर्ष

21. सायर पुत्र काना आयु 60 वर्ष

22. गणपत पुत्र मंगला **(नाऔलाद फौत)**

23. छीतर पुत्र मंगला

24. पूर्ण **(नाऔलाद फौत)**

25. सोहन पुत्र मंगला

समस्त जाति कुमावत निवासीगण ढाणी डा[illegible] वाली तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सत्यमेव जयते

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

26. अर्जुनलाल पुत्र रामू आयु 90 वर्ष (मृत्तक के स्थान पर)

26/1 नर्मदा देवी बेवा अर्जूनलाल

26/2 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र अर्जूनलाल

26/3 मथुरा प्रसाद पुत्र अर्जूनलाल

26/4 दीपेन्द्र कुमार पुत्र अर्जूनलाल

26/5 उर्मिला देवी पुत्री अर्जूनलाल

26/6 कमला देवी पुत्री अर्जूनलाल

27. चौथमल पुत्र रामू आयु 60 वर्ष

28. बंशीधर पुत्र रामू आयु 55 वर्ष

29. भैरूराम पुत्र रामू आयु 52 वर्ष

30. महादेव पुत्र रामू आयु 88 वर्ष (मृत्तक के स्थान पर)

30/1 कल्याणमल पुत्र महादेव

30/2 योगेश पुत्र महादेव

30/3 प्रकाश पुत्र महादेव

समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ढाणी डाबरा वाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

31. सुरेश कुमार दत्तक पुत्र हरभजन जाति चेजारा निवासी ढाणी डाबरा वाली तन् ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

32. इन्द्रराज पुत्र रामेश्वर आयु 22 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

33. छीतरमल पुत्र रामेश्वर आयु 55 वर्ष

34. प्रहलाद पुत्र रामेश्वर आयु 53 वर्ष

35. मुरारी पुत्र रामेश्वर आयु 50 वर्ष

36. शंकरलाल पुत्र रामेश्वर आयु 48 वर्ष

37. सिणगारी पत्नी रामेश्वर आयु 80 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी च्याडा वाली तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

38. गोपाल पुत्र सुरजाराम आयु 65 वर्ष

39. प्रहलाद पुत्र सुरजाराम आयु 60 वर्ष

40. बंशीधर पुत्र सुरजाराम आयु 55 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ढेर की तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

41. घीसालाल पुत्र गोपीराम आयु 68 वर्ष जाति अहीर निवासी ढाणी चोपडा की ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

42. छोटू पुत्र नारायण जाट आयु 80 वर्ष ढाणी च्याडा वाली तन् दिवराला

43. जगदीश पुत्र सोनाराम आयु 25 वर्ष

44. फूलचन्द पुत्र सोनाराम आयु 35 वर्ष

45. महेश पुत्र सोनाराम आयु 30 वर्ष

46. रिछपाल पुत्र सोनाराम आयु 34 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

26/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

47. लक्ष्मण पुत्र सोनाराम आयु 50 वर्ष

48. शंकर पुत्र सोनाराम आयु 54 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी ढेरवाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

49. ज्ञानी देवी पुत्री गणपतराम आयु 65 वर्ष

50. भूरी देवी पत्नी गणपतराम (फौत)

51. दीपक पुत्र गुल्लाराम आयु 25 वर्ष

52. मुकेश पुत्र गुल्लाराम आयु 23 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी ढेरवाली ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

53. बाबूलाल पुत्र मुलचन्द आयु 56 वर्ष जाति अहीर निवासी ढाणी चोपडा की ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

54. भागीरथ पुत्र बींजा आयु 60 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी च्याडा वाली ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

55. महेन्द्र पुत्र ईश्वरराम आयु 22 वर्ष जाति अहीर निवासी ढाणी चोपडा की ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

56. श्यामा पुत्र हणमान (फौत) जिसके वारिसान अप्रार्थी नम्बर 80 से 82 है।

57. उम्मेदसिंह पुत्र हरनाथ सिंह

58. कल्याणसिंह पुत्र हरनाथ सिंह

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

59. ओमकंवर पुत्री गुमानसिंह

60. कमल कंवर पुत्री गुमानसिंह

61. गजराज सिंह पुत्र गुमानसिंह

62. चन्दा कंवर पुत्री गुमानसिंह

63. तोफ कंवर पुत्री गुमानसिंह

64. मूलसिंह पुत्र गुमानसिंह

65. शंकरसिंह पुत्र गुमानसिंह

66. कृष्ण कंवर पुत्री वीरसिंह

67. पूजा कंवर पुत्री वीरसिंह

68. रामसिंह पुत्र वीरसिंह

69. सावित्री कंवर पुत्री वीरसिंह

70. सोहन कंवर पत्नी वीरसिंह

71. जवानसिंह पुत्र दुर्जनसिंह

72. तेजसिंह पुत्र दुर्जनसिंह

73. भंवरसिंह पुत्र दुर्जनसिंह

74. रघुवीर सिंह पुत्र दुर्जनसिंह

75. भंवरी कंवर पुत्री अमरसिंह

76. रणजीत सिंह पुत्र अमरसिंह

77. रेशमकंवर पुत्री अमरसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

26/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

78. सुमित्रा कंवर पत्नी दयालसिंह

79. सुगनसिंह पुत्र उदयसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

80. विशाल पुत्र श्यामा

81. लोकेश पुत्र श्यामा

82. शांति देवी बेवा श्याम

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी च्याडा वाली तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

83. पटवारी हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

84. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—अप्रार्थीगण—

—:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> ::—

उपस्थितिः—

1. श्री रघुनाथ सिंह, अभिभाषक —प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री दीपक बाजिया, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या— 3 की ओर से।
3. श्री रामावतार सैनी—प्रथम, एड0 अप्रार्थीगण संख्या— 9 से 14, 18, 21 की ओर से।
4. सुश्री अनिता शेखावत, एड0 अप्रार्थीगण संख्या— 15 से 17, 26/1 से 26/6, 30/1 से 30/3, 31 से 33, 35 से 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 53, 55, 80 की ओर से।
5. तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी सं. 84 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

26/1/…

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3019 रकबा 3.89 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम दिवराला के हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के नाम व शेष 1/2 हिस्सा की खातेदारी दीगर खातेदारान के नाम दर्ज हैं किन्तु उक्त भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई रास्ता नही है। उक्त भूमि में जाने आने हेतु भूमि खसरा नम्बर 2606 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर व भूमि खसरा नम्बर 2851 के दक्षिण में आम रास्ता कटा हुआ हैं किन्तु प्रार्थीगण की भूमि में जाने हेतु रास्ता नही होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानी हो रही हैं। उक्त भूमि के पास ही भूमि खसरा नम्बर 3023, 3230, 3231 अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी मृतक रामू पुत्र हीरा प्रार्थीगण 8 ता 11 के पिता के नाम दर्ज हैं और उक्त भूमियों में भी आने जाने हेतु मौके पर कोई रास्ता नही होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानी हो रही हैं तथा भूमि खसरा नम्बर 3019 व 3023 में जाने हेतु रास्ता भूमि खसरा नम्बर 2606 के दक्षिण पश्चिम ओर बने रास्ते से होकर भूमि खसरा नम्बर 2606 के पश्चिमी कोने से होकर भूमि खसरा नम्बर 2851 व 2812 के सहारे–सहारे दोनों तरफ से 6–6 फुट चौडा कुल 12 फुट चौडा रास्ता आगे खसरा नम्बर 2840 व 2849 में इसी भांति व आगे खसरा नम्बर 2848 व 2847 मे से भूमि खसरा नम्बर 3019 में व खसरा नम्बर 3023 में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शानुसार होता हुआ रास्ते की सख्त आवश्यकता है ताकि प्रार्थीगण अपनी–अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में काश्त कार्य करने फसल व फसली उपज लाने ले जाने व कृषि जिन्सो को बाजार में पहुँचा सके तथा पशुधन का आवागमन सुगम करने हेतु उक्तानुसार 12 फुट चौडा रास्ते की सख्त आवश्यकता हैं। प्रार्थीगण के लिए उनकी भूमियों के लिए उक्त रास्ता लघुतम हैं तथा अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नही हैं। इस कारण उक्तानुसार [illegible] करवाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन आवश्यक एवं न्यायोचित है क्योंकि उक्त रास्ते के अभाव में

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रार्थीगण को सख्त हकतल्फी है तथा काश्त कार्य में असुविधा हो रही हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता मोके पर कायम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु बार–बार निवेदन किया तो पहले तो हां करके शिघ्र रास्ता कायम करने की कहते रहे किन्तु दिनांक 10.10.2021 को अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की किमत अत्यधिक मांगी तो प्रार्थीगण द्वारा इतनी भारी भरकम राशि देने से मना कर दिया तब अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता कायम करने से स्पष्ट इंकार कर दिया और कहां कि इधर से कोई रास्ता नही हैं और कोई रास्ता देंगे भी नही। इस कारण यदि प्रार्थीगण को उक्त रास्ता नही दिया गया तो प्रार्थीगण अपनी कृषि जोत से वंचित हो जावेंगे। इसलिए कृषि जोत के लिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3019 व 3023 में आवागमन हेतु रास्ता जो पूर्व में बने रास्ते से खसरा नम्बर 2606 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 2851, 2606 व 2812 के दोनो ओर 6–6 फुट चौडा व इसी प्रकार उत्तरी ओर खसरा नम्बर 2849 व 2840 के समान चौड़ाई का तथा आगे खसरा नम्बर 2848 में पूर्वी और दक्षिणी से उत्तर 6 फुट चौडा व इसी प्रकार खसरा नम्बर 2840 में तथा आगे इसी अनुसार खसरा नम्बर 2848 व 2847 में कुल 12 फुट चौडा रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शानुसार खसरा नम्बर 3019 व खसरा नम्बर 3023 तक दर्ज किया जाकर उक्त 12 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अमल दरामद करवाये जाने एवं रास्ता का अवरूद्ध हटाकर आमद रफत चालू करवाते हुए उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में गैरमुमकिन रास्ता अमल दरामद करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण द्वारा किया गया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट को दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 की ओर से [illegible] ने एंव अप्रार्थीगण संख्या 9 से 14, 18 व 21 की ओर से श्री [illegible] एडवोकेट ने एंव अप्रार्थीगण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

15 से 17, 26 से 33, 35 से 38, 41 से 43, 45 से 47, 53, 55 एंव 80 की ओर से सुश्री अनिता शेखावत एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामें पेश किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 26 व 30 के फौत होने पर उनके वारिसान् अप्रार्थीगण संख्या 26/1 से 26/6 व 30/1 से 30/3 की ओर से श्री धर्मेन्द्र कुमार गुर्जर एड0 उपस्थित आये। वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7, 53 व 55 की भूमि मे से रास्ता नहीं होने से एंव अप्रार्थीगण संख्या 24, 26/1, 50 व 56 के फौत होने तथा उनके वारिसान् के पूर्व से ही रिकार्ड पर उपलब्ध होने से उक्त अप्रार्थीगण का नाम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) से नाम विड्रा किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7, 24, 26/1, 50, 53, 55 व 56 के विरूद्ध कार्यवाही विड्रा किये जाने की दिनांक 17.08.2023 को स्वीकृति दी गई। अप्रार्थीगण संख्या 15 से 17, 26 से 33, 34, 35 से 38, 41 से 43, 45 से 47, 55, 64, 80 के बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 8, 19, 20, 22, 23, 25, 39, 40, 44, 48 से 52, 54, 57 से 63, 65 से 79, 81 से 84 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से भी नहीं होने तथा उक्त अप्रार्थीगण के गांव में नहीं रहकर जयपुर, अजमेर, नागौर व बाहर होने से इनकी तामील जरिये समाचार पत्र दैनिक उद्योग आसपास सम्पूर्ण राजस्थान क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये जाने की स्वीकृति दिये जाने पर इनके नोटिस तामील दिनांक 26 अगस्त 2023 को दैनिक समाचार पत्र दैनिक उद्योग आसपास में प्रकाशित करवाई गईं। वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 22 के नाऔलाद फौत होने एंव अप्रार्थी संख्या 50 के फौत होने तथा उनके वारिसान् के पूर्व से रिकार्ड पर उपलब्ध होने से इनके नाम हजफ किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण के द्वारा किये जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 22 व 50 [illegible] किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 19, 23, 25, 34, 39, 40, 44, 48 से 52, 54, 57 से 63, 65 से 79, 81 से 84 के बावजूद समाचार पत्र में नोटिस की सूचना प्रकाशित [illegible] के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध दिनांक 18.10.2023 को [illegible] पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 14, 18, 20 व 21 की ओर से श्री रामावतार सैनी प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(...)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर० टी० एक्ट का पेश कर अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर 3019, 2023, 3230, 3231 में आने जाने हेतु कदीमी समय से ही रास्ता चालू व विद्यमान रहा जो खसरा नम्बर 3019 में हमेशा से ही पूर्व दिशा से खसरा नम्बर 3022, 3023 में होकर खसरा नम्बर 3234 में स्थित ढ़ाणी तक आता है जो खसरा नम्बर 3230 की दक्षिणी सीमा के सहारे पूर्व पश्चिम होता हुआ खसरा नम्बर 3231 की उत्तरी सीमा अर्थात चाह कुआ नल खसरा नम्बर 3229 से दक्षिणी दिशा से होता हुआ आगे पश्चिमी दिशा में 2023 में से होकर 3022 में जाता है जो पूर्व में खसरा नम्बर 3242 में स्थित ढाणी तक कटा हुआ होने तथा इसके आगे पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 3242 की दक्षिणी सीमा से आगे खसरा नम्बर 2829, 3237 की दक्षिणी सीमा के सहारे से आगे स्वंय की भूमि खसरा नम्बर 3230 व 3023 तक आता है जो खसरा नम्बर 3022 तक जाता है। प्रार्थना पत्र कानूनन प्रार्थीगण के खेतों पर जाने का कदीमी समय से रास्ता चालू व विद्यमान होने से प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टवा ही निरस्त होने योग्य होने से प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम संख्या 68 – 70 की अनुपालना करते हुए निर्धारित प्रपत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट चाही जाने बाबत लिखा गया। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 2410/राजस्व/2023 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भू. अभिलेख निरीक्षक दिवराला व पटवारी हल्का दिवराला की जॉच रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया कि प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा संख्या 2606, 2812, 2849, 2840, 2847, 2848 व 3023 में से रास्ता चाहा गया है। जो सबसे निकटतम है। इसमें कृषि भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं हो रहा है। यह केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। मौके पर प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के मध्य सहमति के प्रयास किये गये परन्तु खातेदारान् में सहमति नहीं बन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(मोहर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पाई। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता भूमि खसरा नम्बर 2606 में से 100 वर्गमीटर, 2812 मे से 750 वर्गमीटर, 2849 में से 100 वर्गमीटर, 2840 में से 160 वर्गमीटर, 2848 में से 220 वर्गमीटर, 2847 में से 112 वर्गमीटर एंव 3023 में से 40 वर्गमीटर इस तरह कुल क्षेत्रफल 1482 वर्गमीटर भूमि जिसकी वर्ष 2023 में प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों से कुल दुगुनी राशि 3,80,729/– अक्षरे तीन लाख अस्सी हजार सात सौ उन्नतीस रूपये मात्र होना अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है। उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते के रूप में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दर्शाया गया है। वकील प्रार्थीगण ने उक्त तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुए उसी अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने बाबत सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण के द्वारा किया गया है।

प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण श्री रामावतार सैनी प्रथम ने दिनाक 18.12.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित रास्ते की मौका रिपोर्ट व रास्ते में जाने वाली भूमि की भौतिक स्थिति, भूमि का रकबा व मूल्यांकन राशि की रिपोर्ट मॅंगवाये जाने हेतु पेश किया गया। जिस पर वकील अप्रार्थीगण को सुना जाकर प्रकरण में पटवारी हल्का दिवराला को आगामी पेशी पर ग्राम दिवराला के लट्ठे मानचित्र/नक्शें के साथ न्यायालय में उपस्थित होने बाबत लिखा गया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का दिवराला ग्राम दिवराला के समस्त पुराने रिकार्ड व लट्ठे मानचित्र/नक्शे सहित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। जिनका वरवक्त न्यायालय ने उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में पुराने रिकार्ड व लट्ठे मानचित्र/नक्शे का गहनता से अवलोकन किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता व रास्ते में जाने वाली भूमियों की भौतिक स्थिति की जानकारी पटवारी हल्का दिवराला से विस्तार से ली गई। जहॉं तक वकील अप्रार्थीगण ने भूमि का रकबा व मूल्याकंन राशि की रिपोर्ट मॅंगवाये जाने बाबत कथन किया है। उसके सम्बन्ध में रास्ते के काम आने वाली भूमि का र[illegible] मौका रिपोर्ट पूर्व में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त [illegible] पत्रावली पर पूर्व से उपलब्ध है। मूल्याकंन राशि की रिपोर्ट के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग के द्वारा वर्तमान में प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों की प्रतिवर्ष वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बाजार दरों से समीक्षा करते हुए डी0 एल0 सी0 दरों को संशोधित कर दिया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा भू. अभिलेख निरीक्षक दिवराला से तैयार करवाई गई फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.01.2023 में प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों की वर्ष 2022 – 2023 की दरों की सूचि भिजवाई गई है। जबकि वर्तमान में वित्तिय वर्ष 2023 – 2024 में निर्धारित दरें प्रभाव में है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में निर्णय दिनांक को प्रचलित दरों के अनुसार रास्ते के काम में आने वाली प्रस्तावित भूमियों की दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को दिलाई जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राशि का आंकलन कर प्रार्थीगण से जमा ली जा सकती है।

वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 – (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शितानुसार रास्ता दिये जाने बाबत निवेदन किया। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता खसरा नम्बर 3019 व 3023 तक पहुँचने के लिए अन्य खसरा नम्बरान् के साथ खसरा नम्बर 2812 में से रास्ता काटने हेतु अप्रार्थी श्री सायर मल गुर्जर ने एंव इसी प्रकार श्री ख्यालीराम ने इस रास्ते को खसरा नम्बर 3022 तक काटने हेतु पक्षकारान् ने अपने अधिवक्तागणों की उपस्थिति में अपनी – अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने – अपने हस्ताक्षर अंकित किये है। अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 14, 18, 21 के अधिवक्ता के ब्रीफ होल्डर श्री रमेश कुमार एड0 ने भी पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये।

हमने वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण की बहस बहुपक्षीय ध्यानपूर्वक सुनी। बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् यथा [illegible], नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट पटवारी हल्का हासंपुर, तहसीलदार श्री[illegible]पुर की मौका [illegible] प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा, डी0 एल0 सी0 दरों इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में प्रार्थीगण अपने खेत भूमि खसरा नम्बर 3023, 3230, 3231, 3019 अवस्थित तन् ग्राम दिवराला में आने–जाने आवागमन हेतू भूमि खसरा नम्बर 2606 के दक्षिणी पश्चिम ओर बने रास्ते से होकर भूमि खसरा नम्बर 2606 के पश्चिमी कोने से होकर भूमि खसरा नम्बर 2851 व 2812 के सहारे–सहारे दोनों तरफ से 6–6 फुट चौड़ा कुल 12 फुट गैर मुमकिन रास्ता जो लघुत्तम होने तथा उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से उक्त रास्ता दिलवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। खसरा नम्बर 3023, 3230, 3231, 3019 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 2606, 2812, 2849, 2840, 2848, 2847, 3023 में से जाने वाला रास्ता आवागमन की दृष्टि से अत्यन्त लघुत्तम व निकटतम रास्ता होना प्रकट होता है। भूमि खसरा नम्बर 2606 में से 100 वर्गमीटर, 2812 में से 750 वर्गमीटर, 2849 में से 100 वर्गमीटर, 2840 में से 160 वर्गमीटर, 2848 में से 220 वर्गमीटर, 2847 में से 112 वर्गमीटर एंव 3023 में से 40 वर्गमीटर इस तरह कुल क्षेत्रफल 1482 वर्गमीटर भूमि जिसकी वर्ष 2023 में प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों से कुल दुगुनी राशि 3,80,729/– अक्षरे तीन लाख अस्सी हजार सात सौ उन्नतीस रुपये मात्र होना तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एंव राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। प्रार्थीगण ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर रास्ता नहीं लिया जाकर वर्तमान प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर रास्ता लिये जाने बाबत अवगत कराया गया। जिसके तहत प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता [illegible] वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन [illegible] व्यक्त करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किया गया रास्ता जो [illegible] नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है को प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सत्यमेव जयते

स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 12 फुट चौडाई का रास्ता दिये जाने बाबत सहमति प्रदान किये जाने से उचित प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही होने, जोत की सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा मुख्य सडक व मुख्य आबादी से निकटतम /लघुत्तम होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर उक्त सलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते के काम आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा ली जाने के उपरान्त नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थी से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने [illegible] राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक [illegible] किया जाना उचित समझते

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.28 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

26/1/24

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीमकाथाना)

है। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुरार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3023, 3230, 3231, 3019 अवस्थित तन् ग्राम दिवराला में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 2606 में से 100 वर्गमीटर, 2812 में से 750 वर्गमीटर, 2849 में से 100 वर्गमीटर, 2840 में से 160 वर्गमीटर, 2848 में से 220 वर्गमीटर, 2847 में से 112 वर्गमीटर एंव 3023 में से 40 वर्गमीटर इस तरह कुल क्षेत्रफल 1482 वर्गमीटर भूमि एंव उक्त रास्ते को प्रार्थी संख्या 10 ख्यालीराम के द्वारा खसरा नम्बर 3022 तक काटे जाने हेतु सहमति दिये जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रास्ते को खसरा नम्बर 3023 से होते हुए खसरा नम्बर 3022 की दक्षिणी सीमा की हद [illegible] वाते हुए एंव भूमि खसरा नम्बर 3023 से 3022 तक जाने वाले रास्ते [illegible] क से आक्रमण किया जाकर उक्त कुल क्षेत्रफल 1482 वर्गमीटर में जोडा जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाले सम्पूर्ण रक्बे की

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

भूमियों का वर्तमान बाजार दरों की सिंचित दरों से मूल्यांकन राशि की गणना की जाकर उसकी दुगुनी मूल्यांकन राशि तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा राज्यकोष में जमा ली जानी है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा ट्रेस एवं पर्चा रिपोर्ट में दर्शित 12 फुट चौडाई की भूमि, को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियॉ बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रार्थीगण को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शितानुसार भूमि खसरा नम्बर 2606, 2812, 2849, 2840, 2848, 2847, 3023, 3022 में दिये जाने वाले रास्ते की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी [illegible] गणना की जाकर उक्त प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाली भूमियों की कुल निर्धारित [illegible] कर आंकलित राशि प्रार्थीगण से राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शों में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थीगण को उनके हक

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सत्यमेव जयते

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जाकर तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)